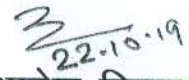


कृषि निदेशालय, बिहार।

संचिका सं०- 6/स्था० अन्य- 98/11- 5150 कृ०, पटना दिनांक 22/10/2019
आदेश

श्री रामप्रबोध ठाकुर, संयुक्त निदेशक (शष्प), सहरसा प्रमंडल, सहरसा दिनांक 31.10.2019 को बार्धक्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत मो० नईम अशरफ, संयुक्त निदेशक (शष्प), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक (शष्प), सहरसा प्रमंडल, सहरसा के प्रभार में रहेंगे। मो० अशरफ को बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के तहत सहरसा प्रमंडल, सहरसा का वित्तीय प्रभार दिया जाता है।

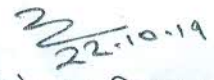
2. उक्त के लिए अलग से कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
3. यह आदेश दिनांक 01.11.2019 से प्रभावी होगा।
4. नियमित पदस्थापन होने पर यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।


(आदेश तितरमारे)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5150

कृ०, पटना 22/10/2019

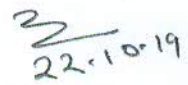
प्रतिलिपि :- संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/मुख्यालय एवं मीठापुर स्थित सभी पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्प) सूचना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संबंधित कार्यालय प्रभारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5150

कृ०, पटना 22/10/2019

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/विशेष सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।